राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

निविदा सूचना

क्रमांक : एचसी / एसके / 2014–15 / 511 दिनांक : 19.02.2015

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर कार्यालय में कार्यरत वाहन चालकों, जमादारों एवं अन्य सहायक कर्मचारियों के उपयोगार्थ वित्तीय वर्ष 2014–15 की ठण्डी वर्दी (अचकन, हन्टिंग कोट, जोधपुरी बन्द गले का कोट एवं पेन्ट) की सिलाई की दरों के सम्बन्ध में मोहरबन्द निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र मय विवरण निर्धारित शुल्क रूपये 200/– जमा करवाकर मुख्य रोकड़पाल से कार्यालय समय में प्राप्त किया जा सकता है। (निविदा का अनुमानित मूल्य रूपये 1,62,000/–)

निविदाऍ दिनांक 21.02.2015 से दिनांक 04.03.2015 दोपहर 2.00 बजे तक बेची जा कर दिनांक 09.03.2015 को दोपहर 2.00 बजे तक प्राप्त की जायेगी एवं प्राप्त निविदाऍ उसी दिन दिनांक 09.03.2015 को साँय 3.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी। निविदा का विस्तृत विवरण एवं शर्ते http://sppp.rajasthan.gov.in एवं http://www.hcraj.nic.in पर देखी जा सकेगी।

आज्ञा से,

19/02/15

उपनिबन्धक (न्यायिक),

कार्यालयः राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

निविदा एवं अनुबन्ध की शर्ते

1. निविदाएँ पूर्ण रूप से भरी जाकर मोहरबंद निविदाएँ दिनांक 09.03.2015 को दोपहर 2 बजे तक कार्यालय में पहुँच जानी चाहिए। प्राप्त निविदाएँ उसी दिन दिनांक 09.03.2015 को साँय 3.00 बजे उपस्थित निविदाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी । विलम्ब से प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जाएँगी ।

2. निविदादाता को अनुमानित व्यय मूल्य की 2 प्रतिशत राशि कार्यालय में अमानत राशि के रूप में नगद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करवानी होगीं । डिमाण्ड ड्राफ्ट **'रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर'** के नाम से देय होगा। निविदा प्रपत्र के साथ नगद की रसीद या डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रूप से संलग्न करना होगा।

3. इस अनुबन्ध के तहत गर्मी (Summer Uniform) की वर्दी की सिलाई/सिलाई के कार्य का निर्धारण निविदा प्रपत्र में उल्लेखित मानकों के अनुरूप होगा। निविदादाता को Summer Uniform के तहत अचकन, हन्टिंग कोट, जोधपुरी बन्द गले का कोट एवं पेन्ट की दरें पृथक–पृथक रूप से देनी होगी तथा साथ ही वर्दी की सिलाई के लिये उपयोग में लिये जाने वाले Thread, Lining, Zip, Inter-lining, Fuse lining, Pad, Chest piece, Buckram, Buttons, का पूर्ण विवरण निविदा प्रपत्र में दिया जायेगा उसी के अनुरूप दरें भरकर देनी होगी।

4. कर्मचारियों की वर्दी सिलाई का कार्य/निर्धारण कार्यालय द्वारा विभाजित श्रेणीयों/निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा। वर्दी ठीक से निर्धारित मानक/निर्देशों के अनुसार सिलाई नहीं किये जाने की स्थिति में, जैसा कार्यालय द्वारा निर्देशित किया जाय, बिना कोई अतिरिक्त शुल्क के त्रुटि सुधारकर/बदलकर/पुनः सिलाई कर या कपड़े का लागत मूल्य कार्यालय में जमा करवाना होगा।

5. वर्दी की सिलाई के बिलों का भुगतान कर्मचारियों द्वारा संतोषजनक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ही किया जायेगा।

6. निविदा में वर्दी सिलाई में प्रत्येक आइटम्स में प्रयुक्त होने वाले कपड़े की मात्रा पृथक–पृथक रूप से वर्णित करनी होगी।

7. वर्दी की सिलाई के बिलों का भुगतान कर्मचारियों द्वारा संतोषजनक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ही किया जायेगा।

8. निविदा तय होने पर वर्दी के लिये पात्र कर्मचारियों की सूची बनाकर सम्बन्धित फर्म को उपलब्ध करवाई जायेगी। वर्दी की सिलाई हेतु माप सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार एवं शनिवार को कार्यालय समय में कार्यालय में आकर लेना होगा। कार्यालय द्वारा निर्धारित दिन/समयनुसार ही रखा जायेगा। कार्यालय से कपड़े के परिवहन तथा वर्दी सिलाई के पश्चात भण्डारगृह तक पहुचाने/वितरण करने इत्यादि से सम्बन्धित पृथक से किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

9. यदि सम्बन्धित फर्म द्वारा सिलाई की गुणवतता में कमी अथवा कार्यालय द्वारा स्वीकृत नमूनानुसार सामग्री जैसे – Thread, Lining, Zip, Inter-locking, Fuse lining, Pad, Chest piece, Buckram, Buttons, का इस्तेमाल नही किया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित फर्म की होगी तथा उसे इससे सम्बन्धित सुधार कार्य स्वयं के खर्चे पर करके देना होगा। सभी वर्दिया प्रेस इत्यादि करके पहनने हेतु तैयार करके देनी होगी।

10. कार्यालय द्वारा वर्दी की सिलाई हेतु कपड़ा एक पखवाड़े में सम्पादित किये जाने वाले अनुमानित कार्य के अनुसार ही दिया जायेगा तथा साथ ही सिलाई करने वाली फर्म प्रत्येक पखवाड़े में किये गये सिलाई कार्य की सूची कार्यालय को कर्मचारियों के नाम व पद सहित प्रेषित करेगी, उसी के अनुरूप भुगतान व सिलाई के लिये कपड़े उपलब्ध करवाने की कार्यवाही की जायेगी। सम्बन्धित फर्म द्वारा कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाये गये कपड़े की प्राप्ति रसीद स्वयं के लेटर पेड पर/लिखित रूप से देगी।

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पता सील मोहर

क्रमशः पृष्ठ संख्या – 02

कार्यालयः राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

निविदा एवं अनुबन्ध की शर्ते
पृष्ठ सख्या – 2

11. कार्यालय द्वारा सम्बन्धित फर्म को कपड़ा उपलब्ध करवाने के पश्चात उससे सम्बन्धित होने वाली हानि जैसे – कपड़ा चोरी हो जाना, सिलाई के दौरान खराब हो जाना, किसी को निर्धारित संख्या से कम या अधिक वर्दी सिलाई कर देने या अन्य कोई व्यक्तिगत या प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान के लिये सम्बन्धित फर्म ही जिम्मेदार होगी।

12. सम्बन्धित फर्म को सिलाई का कार्य कार्यालय आदेश प्राप्ति के दो माह के भीतर सम्पूर्ण करना होगा तथा वर्दी का माप लेने की दिनांक से 20 दिन के अन्दर – अन्दर सिलाई कर कार्यालय में उपलब्ध करवानी होगी इसके पश्चात प्रति दिवस रूपये 10/– प्रति वर्दी के हिसाब से शास्ति वसूल की जा सकेगी।

13. निविदा एवं प्रस्तुत दरें सभी करों सहित शब्दों एव अंकों में स्पष्ट रूप में लिख कर अंकित करनी होगी। कॉट–छॉट होने पर अपने लघु हस्ताक्षर करके दरे पृथक से स्पष्ट रूप से लिखनी होगी। निविदा में प्रस्तुत दरों में सामान की निर्दिष्ट स्थान/भण्डारगृह पर पहुँचाने (Handling Charges) भी सम्मिलित होगा।

14. सिलाई कार्य के आदेश प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर कार्यादेश की कुल कीमत की 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में आदेश प्राप्ति के तुरन्त बाद जमा करवानी होगी, जिसमें जमा अमानत राशि का समायोजन प्रतिभूति में किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त निर्धारित राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर एक करार पत्र, जो कि कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में होगा, प्रस्तुत करना होगा।

15. किसी भी निविदा को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा। अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगें। निविदा खोले जाने एवं स्वीकार किये जाने की तिथियों में परिवर्तन का अधिकार भी अद्योहस्ताक्षकर्ता को ही होगा ।

16. सम्बन्धित फर्म के कम से कम पॉच वर्ष के सिलाई कार्य का अनुभव होना आवश्यक है। यदि पूर्व में किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी/निजी संस्था से वर्दी सिलाई हेतु कोई कार्यादेश प्राप्त हुआ है अथवा किसी कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र, यदि हो तो, उसकी प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी। निदेशक इण्डस्ट्रीज एवं सप्लाई, राजस्थान के अर्न्तगत पंजीकृत फर्म, पंजीकृत वस्तुओ की निविदा दे सकती है। उनको धरोहर राशि जमा कराने की छूट का लाभ नियमानुसार देय होगा। किसी अन्य सप्लाई के लिए जमा धरोहर राशि का समायोजन इस निविदा पेटे नहीं किया जायेगा।

17. उक्त कार्य सम्पादन में यदि किसी भी प्रकार की हानि होती है तो इसके लिये कार्यालय किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं करेगा नहीं कोई जिम्मेदारी होगी। कार्य कार्यादेश में वर्णित समय अवधि (कार्यालय द्वारा निर्धारित समय) के भीतर ही करना होगा। विलम्ब से किये गये कार्य पर नियमानुसार शास्ति लगाई जायेगी ।

18. उक्त निविदा में सफल निविदादाता अपने कार्य को स्वयं के स्तर पर ही सम्पादित करेगा स्वीकृत कार्य को किसी अन्य एजेन्सी या फर्म के माध्यम से नहीं करवायेगा अर्थात् सबलेट नहीं करेगा।

19. सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगी ।

20. वर्दी आपूर्ति सम्बन्धी अन्य शर्ते सम्बन्धित निविदा प्रपत्र में संलग्न है, के अनुसार निविदादाता को कार्य सम्पन्न करना होगा ।

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पता सील मोहर